

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

तृतीय तल, ब्लाक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक 5057/त.शा./एफ-324./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2015

रायपुर, दिनांक 17-6-15

प्रति,

मुख्य अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर

विषय :- विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों में वर्तमान में उपयोग की जा रही लाल ब्रिक्स के स्थान पर फलाई ऐश ब्रिक्स एवं उससे बने उत्पादों का अधिकतम उपयोग करने बाबत।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का आदेश कमांक-25/त.शा./एफ-324/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2015 रायपुर दिनांक 09.02.2015.
2. इस कार्यालय का आदेश कमांक-116/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2015 रायपुर दिनांक 16.06.2015.

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में विभाग में चल रही निर्माण कार्यों के तहत वर्तमान प्रचलित लाल ब्रिक्स के स्थान पर फलाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे एवं सम्पादित कार्य में आदेश के परिपालन में प्रतिवेदन से इस कार्यालय को यथा-समय कृपया अवगत करावें।

17/6

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ0क्र. 5058/त.शा./एफ-324/प्र.अ./लोस्वायांवि/2015  
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 17-6-15

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/महामंत्री, छत्तीसगढ़ फलाई ऐश ब्रिक्स मेनुफैक्चर एसोसिएशन इको फ्रेण्डली प्रोडक्ट, 334, तीसरी मंजिल, लाल गंगा शॉपिंग मॉल, जी.ई. रोड, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

17/6

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

**कार्यालय प्रमुख अभियंता**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**  
तृतीय तल ब्लॉक-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़


क्रमांक 116 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 रायपुर

दिनांक 16 / 06 / 2015

**कार्यालयीन आदेश**

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक-25 / त.शा. / एफ-324 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 रायपुर दिनांक 09.02.2015 के निरंतरता में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में चल रहे निर्माण कार्य में वर्तमान में उपयोग की जा रही लाल ब्रिक्स के स्थान पर पलाई एश ब्रिक्स एवं उससे बने उत्पादों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जावे। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी यूनिफाईड शेड्यूल आफ रेट्स (पार्ट-1) के चेप्टर क्रमांक-2 "Allied civil works" की कंडिका 8.3 एवं सरल क्रमांक-2.42 में इस कार्य हेतु दरें उपलब्ध है।

कृपया इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


  
16/6/15  
का/प्र. प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
रायपुर, दिनांक 16 / 06 / 2015

पृ0 क्रमांक 4995 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर,
4. मुख्य अभियंता, (वि / यां0), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर,
5. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर एवं (वि0 / यां0) मंडल रायपुर,
6. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड / परियोजना खंड / मेकेकिल खंड .....

की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

  
16/6/15  
का/प्र. प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर